कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक – शिविरा / माध्य / छाप्रोप्र / निजी / 2016–17 दिनांक – 07.10.2016

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम / द्वितीय

विषय – राज्य स्तरीय एवं केन्द्रप्रवर्तित छात्रवृत्तियों के समस्त लाभार्थी विद्यार्थियों के आधार नामांकन / आधार नम्बर जेनेरेट करवा कर उनके बैंक खाते की आधार सीडिंग के क्रम में।

प्रसंग – माननीय शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान, शिक्षा(ग्रुप–6)विभाग जयपुर का आदेश क्रमांक– पं19(3)शिक्षा–6 / 2008 दिनांक 04.10.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र में माननीय शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान ने राज्य स्तरीय एवं केन्द्रप्रवर्तित छात्रवृत्तियों के समस्त लाभार्थी विद्यार्थियों के आधार नामाकन / आधार नम्बर जेनेरेट करवा कर उनके बैंक खाते की आधार सीडिंग के क्रम में विस्तृत कार्ययोजना पालनार्थ जारी की है। **इस कार्ययोजना के अनुसार 30 अक्टूबर 2016 तक आधार नामांकन एवं बैंक खातों की आधार सीडिंग की समस्त कार्यवाही अनिवार्य रूप से सम्पन्न कर ली जानी है।**

जारी की गई कार्ययोजना में विभिन्न स्तरों पर करणीय कार्यों का स्पष्ट उल्लेख है। आधार नामांकन एवं बैंक खातों की आधार सीडिंग का मूल कार्य विद्यालयों में संस्थाप्रधानों के निर्देशन में सम्पादित किया जाना है, अतः अपने जिले / क्षेत्र के संस्थाप्रधानों को निर्देशित कर देवें कि वे पूरी गम्भीरता से कार्ययोजना में बिन्दु संख्या **1. संस्थाप्रधानों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही** के अंतर्गत प्रदर्शित किए गए उप–बिन्दु संख्या 1.1 से 1.7 तक की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करेंगे।

कार्ययोजना में बिन्दु संख्या **3. जिला शिक्षाधिकारी प्रारम्भिक एवं माध्यमिक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही** के अंतर्गत उल्लेखित उप–बिन्दु संख्या 3.1 से 3.5 जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा करणीय कार्य अंकित हैं। समस्त बिंदुओं की पालना समयबद्धता से की जानी है। साथ ही साथ इस समस्त कार्य का प्रभावी प्रबोधन नियन्त्रण अधिकारी के नाते आप द्वारा किया जाना है। **परिशिष्ट–1 के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जिले / क्षेत्र के समस्त विद्यालयों का परिशिष्ट–1 विद्यालयवार समेकित कर प्रत्येक सोमवार को 01:00 बजे अपराह्न तक आवश्यक रूप से निम्नांकित ई–मेल पते पर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।** इस कार्य में किसी भी प्रकार का विलम्ब न हो इसके लिए जिले भर के संस्थाप्रधानों से परिशिष्ट–1 आपको कब तक प्राप्त हो जावे यह जिला स्तर पर तय कर पालना सुनिश्चित करावें।

परिशिष्ट–2 जो कि निर्देशानुसार पूरित एवं हस्ताक्षरित हो आवश्यक रूप से तय दिवस 04.11.2016 को सायं 5:00 बजे तक निम्नांकित ई–मेल पते पर pdf format में भिजवाना सुनिश्चित करें

ई–मेल पता – deo.scholar.dse@rajasthan.gov.in

(बी.एल.स्वर्णकार)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–6)विभाग, जयपुर।
3. समस्त मण्डल उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान को प्रभावी मॉनिटरिंग बाबत।
4. समस्त प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक, राउमावि / रामावि / राबाउमावि / राबामावि को पालनार्थ।
5. रक्षित पत्रावली।

07/10/16
सहायक निदेशक
छात्रवृत्ति अनुभाग
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

अति–आवश्यक

राजस्थान–सरकार
शिक्षा(ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक पं.19(3)शिक्षा–6/2008 जयपुर, दिनांक : 04.10.2016

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषयः–राज्य स्तरीय एवं केन्द्र प्रवर्तित छात्रवृत्ति के समस्त लाभार्थी विद्यार्थियों के आधार नामांकन/आधार नम्बर generate करवाकर उनके बैंक खातों की आधार सीडिंग के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत जैसा कि आपको विदित है वर्तमान सत्र से केन्द्र सरकार द्वारा समस्त केन्द्र प्रवर्तित छात्रवृत्तियों के आवेदन एवं वितरण की व्यवस्था नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। अतः प्रत्येक पात्र विद्यार्थी का आधार नम्बर/आधार नामांकन (EID) एवं आधार सीडेड बैंक खाता होना अनिवार्य होगा। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हेतु आधार नामाकंन (EID) भी मान्य है परन्तु छात्रवृत्ति का वितरण आधार नम्बर प्राप्त होने के पश्चात् आधार सीडेड बैंक खाते में ही किया जाएगा। इस क्रम में निम्न कार्ययोजनानुसार कार्यवाही की जानी हैः–

1.0 संस्था प्रधानों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :

1.1. संस्था प्रधान अपने विद्यालय में छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करेंगे एवं उनमें से जिन विद्यार्थियों द्वारा अभी तक आधार हेतु नामांकन नहीं करवाया गया है उन विद्यार्थियों को अपनी ग्राम पंचायत/क्षेत्र में स्थित निकटतम परमानेंट एनरोलमेंट सेन्टर/ई–मित्र केन्द्र/अटल सेवा केन्द्र पर व्यक्तिशः अथवा किसी शिक्षक के साथ भेजकर ऐसे प्रत्येक छात्र का आधार नामाकंन करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

1.2. आधार नामाकंन हेतु संस्था प्रधान द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी फोटो सहित उसका नाम, माता–पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग एवं निवास स्थान का पता सत्यापित एवं हस्ताक्षरित कर प्रत्येक विद्यार्थी को उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि किसी भी विद्यार्थी को आधार नामांकन हेतु अन्य किसी दस्तावेजी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं रहे। UIDAI द्वारा विद्यार्थियों के लिए उक्तानुसार संस्था प्रधान द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज को पहचान–पत्र/निवास प्रमाण–पत्र के रूप में मान्य किया हुआ है।

1.3. यदि इसके पश्चात् भी संस्था प्रधानों को परमानेंट एनरोलमेंट सेन्टर/ई–मित्र केन्द्र/अटल सेवा केन्द्र पर किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े तो वे तुरन्त इसकी सूचना अपने संबंधित जिला प्रारम्भिक शिक्षाधिकारी (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षाधिकारी के माध्यम से)/जिला माध्यमिक शिक्षाधिकारी (माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय, समन्वित विद्यालयों के लिए) को प्रेषित करेंगे एवं जिला शिक्षा अधिकारी आधार नामाकंन के लिए जिला स्तरीय नोडल अधिकारी (DoITC द्वारा जिला कलक्ट्रेट में पदस्थापित ACP) से सीधे अथवा संबंधित जिला कलक्टर के माध्यम से सम्पर्क कर समस्या का तत्परता से समाधान कराएंगे।

1.4. समस्त संस्था प्रधान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि छात्रवृत्ति हेतु पात्र प्रत्येक विद्यार्थी का आधार सीडेड बैंक खाता हो। इसके लिए दो चरणों में कार्य किया जाएगा :

(i) यदि किसी विद्यार्थी का बैंक खाता नहीं है, तो संस्था प्रधान संबंधित बैंक के साथ समन्वयन कर खाता खोलने के लिए समस्त आवश्यक दस्तावेजों की सूची प्राप्त कर विद्यार्थियों से उक्त दस्तावेज प्राप्त करने के पश्चात् ही विद्यार्थियों को व्यक्तिशः बैंक खाता खोलने के लिए

बैंक लेकर जाऐंगे ताकि विद्यार्थियों एवं संस्था प्रधान को बार–बार बैंक जाने की आवश्यकता नहीं रहे एवं उक्त कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण हो सके।

(ii) विद्यार्थी का आधार नामाकंन एवं बैंक खाता खुलने के पश्चात् संस्था प्रधान आधार सीडिंग के लिए ऐसे समस्त विद्यार्थियों के consent फॉर्म हस्ताक्षरित करवाकर उनके आधार नम्बर एवं खाता संख्या की लिस्ट बनाकर संबंधित बैंक को उपलब्ध करवाऐंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बैंक द्वारा आधार सीडिंग कर दी गई है।

1.5. इस समस्त कार्यवाही की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। इस हेतु प्रत्येक माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा जिला शिक्षाधिकारी माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय को एवं समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय द्वारा बीईईओ के माध्यम से जिला शिक्षाधिकारी प्रारम्भिक को परिशिष्ठ–1 के अनुसार प्रारूप में साप्ताहिक सूचना संधारित कर प्रति सोमवार आवश्यक रूप से प्रेषित की जाएगी।

समस्त संस्था प्रधान अपने विद्यार्थियों की आधार डेटा को शाला दर्पण/शाला दर्शन पर भी नियमित रूप से अद्यतन करेंगे।

1.6. प्रत्येक संस्था प्रधान अपने विद्यालय के समस्त छात्रवृत्ति पात्र विद्यार्थियों के शत–प्रतिशत आधार नामाकंन एवं उनके बैंक खातों की आधार सीडिंग के लिए उत्तरदायी होंगे। यह समस्त कार्यवाही 30 अक्टूबर, 2016 तक की जाकर प्रत्येक संस्था प्रधान द्वारा इस आशय का एक हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र संलग्न प्रारूप (परिशिष्ठ– 2) में संबंधित जिला शिक्षाधिकारी माध्यमिक/जिला शिक्षाधिकारी प्रारम्भिक (ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षाधिकारी के माध्यम से) को प्रेषित किया जाएगा कि उसके विद्यालय के समस्त पात्र विद्यार्थियों का शत–प्रतिशत आधार नामाकंन एवं उनके बैंक खातों की आधार सीडिंग कर दी गई है।

1.7. समस्त केन्द्र प्रवर्तित छात्रवृत्तियों के पात्र विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर निर्धारित समय सीमा में अपलोड करवाए जाकर संस्था प्रधान द्वारा उक्त आवेदन–पत्रों को ऑनलाईन सत्यापित कर संबंधित जिला शिक्षाधिकारी को अग्रेषित किया जाना है। राज्यस्तरीय छात्रवृत्तियों के लिए भी नियमानुसार समस्त कार्यवाही की जानी है। यदि किसी विद्यार्थी को आधार सीडेड बैंक खाता नहीं होने एवं छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र समय पर अग्रेषित नहीं होने के कारण छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है तो इसके लिए संस्था प्रधान व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। यदि किसी संस्था प्रधान द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर, 2016 तक आधार नामांकन एवं बैंक खातों की आधार सीडिंग के क्रम में उक्तानुसार समस्त कार्यवाही नहीं की जाती है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2.0 ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :

2.1. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षाधिकारी द्वारा इस कार्ययोजना के समस्त दिशा–निर्देश प्रत्येक संस्था–प्रधान को व्हॉट्स–एप्स ग्रुपों के माध्यम से शीघ्रातिशीघ्र पहुंचाया जाना सुनिश्चित करना है, ताकि समस्त कार्यवाही समय पर पूरी हो सके एवं नियमित समीक्षा भी इसी माध्यम से की जानी है।

2.2. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षाधिकारी अपने ब्लॉक के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों को परमानेंट एनरोलमेंट सेन्टर, ई–मित्र केन्द्र, अटल सेवा केन्द्र पर किसी प्रकार की समस्या आने पर तुरन्त इसकी सूचना अपने संबंधित जिला शिक्षाधिकारी को देकर समस्या का तत्परता से समाधान कराएंगे।

2.3. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षाधिकारी इस समस्त कार्यवाही की साप्ताहिक समीक्षा करेंगे एवं परिशिष्ठ–1 के अनुसार प्रारूप में साप्ताहिक सूचना समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों से प्राप्त कर जिला शिक्षाधिकारी प्रारम्भिक को आवश्यक रूप से प्रति सोमवार प्रेषित करेंगे।

2.4. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षाधिकारी अपने ब्लॉक के प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधान से हस्ताक्षरित शतप्रतिशत आधार नामाकंन एवं बैंक खातों की आधार सीडिंग संबंधी प्रमाण–पत्र, संलग्न प्रारूप परिशिष्ठ–2 में प्राप्त कर स्वयं के हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के साथ संबंधित जिला शिक्षाधिकारी प्रारम्भिक को अग्रेषित करेंगे। उनके द्वारा यह समस्त कार्यवाही

दिनांक 02 नवम्बर, 2016 तक की जानी है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

2.5. जिन छात्रवृत्ति योजनाओं के आवेदन–पत्र ऑन लाईन अपलोड किये जाने हैं, उन्हें राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपलोड करवाया जाना एवं अग्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे ताकि कोई पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित ना रहे।

3.0 जिला शिक्षाधिकारी प्रारम्भिक एवं माध्यमिक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :

3.1. जिला प्रारम्भिक शिक्षाधिकारी द्वारा समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षाधिकारियों का एवं जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समस्त संस्था–प्रधानों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसके माध्यम से इस कार्ययोजना के समस्त दिशा–निर्देश शीघ्रातिशीघ्र पहुंचाया जाना सुनिश्चित करना है, ताकि समस्त कार्यवाही समय पर पूरी हो सके एवं नियमित समीक्षा भी इसी माध्यम से की जानी है।

3.2. जिला शिक्षाधिकारी प्रारम्भिक एवं माध्यमिक अपने जिले के संस्था प्रधानों को परमानेंट एनरोलमेंट सेन्टर/ई–मित्र केन्द्र/अटल सेवा केन्द्र पर किसी प्रकार की समस्या आने पर आधार नामाकंन के लिए जिला स्तरीय नोडल अधिकारी (DoITC द्वारा जिला कलक्ट्रेट में पदस्थापित ACP) से सीधे अथवा संबंधित जिला कलक्टर के माध्यम से सम्पर्क कर समस्या का तत्परता से समाधान कराएंगे।

3.3. जिला शिक्षाधिकारी प्रारम्भिक एवं माध्यमिक इस समस्त कार्यवाही की साप्ताहिक समीक्षा करेंगे एवं परिशिष्ठ–1 के अनुसार प्रारूप में साप्ताहिक सूचना समस्त संस्था प्रधानों से प्राप्त कर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा को आवश्यक रूप से प्रति सोमवार प्रेषित करेंगे।

3.4. जिला शिक्षाधिकारी प्रारम्भिक एवं माध्यमिक अपने जिले के प्रत्येक विद्यालय के संस्था प्रधान से हस्ताक्षरित शतप्रतिशत आधार नामाकंन एवं बैंक खातों की आधार सीडिंग संबंधी प्रमाण–पत्र, संलग्न प्रारूप परिशिष्ठ–2 में प्राप्त कर स्वयं के हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र के साथ निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा को दिनांक 04 नवम्बर, 2016 तक अग्रेषित करेंगे। यदि किसी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

3.5. जिन छात्रवृत्ति योजनाओं के आवेदन–पत्र ऑन लाईन अपलोड किये जाने हैं, उन्हें राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपलोड करवाया जाना एवं अग्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे ताकि कोई पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित ना रहे।

4.0 निदेशालय, प्रारम्भिक/माध्यमिक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :

4.1. निदेशक, प्रारम्भिक एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा इस कार्ययोजना की क्रियान्विति हेतु समस्त आवश्यक दिशा–निर्देश जारी कर समयबद्ध रूप से कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

4.2. इस कार्ययोजना के समस्त दिशा–निर्देश शाला–दर्पण, शाला–दर्शन एवं व्हॉट्स–एप्स ग्रुपों के माध्यम से समस्त जिला शिक्षाधिकारी प्रारम्भिक एवं माध्यमिक, ब्लॉक शिक्षाधिकारी एवं प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों तक आज ही पहुंचाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि समस्त कार्यवाही समय पर पूरी हो सके।

4.3. निदेशक प्रारम्भिक एवं माध्यमिक इस समस्त कार्यवाही की साप्ताहिक समीक्षा करेंगे एवं परिशिष्ठ–1 के अनुसार प्रारूप में साप्ताहिक सूचना समस्त जिला शिक्षाधिकारियों से प्राप्त कर जिलेवार समेकित सूचना शासन सचिव, स्कूल शिक्षा के कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रत्येक सोमवार प्रेषित किया जाना सुनिश्चित कराएंगे।

4.4. जिला शिक्षाधिकारी प्रारम्भिक एवं माध्यमिक के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय के संस्था प्रधान से हस्ताक्षरित शतप्रतिशत आधार नामाकंन एवं बैंक खातों की आधार सीडिंग संबंधी प्रमाण–पत्र की जिलेवार समेकित सूचना शासन सचिव, स्कूल शिक्षा के कार्यालय को दिनांक 07.11.2016 को प्रेषित करेंगे।

4.5. जिन छात्रवृत्ति योजनाओं के आवेदन–पत्र ऑन लाईन अपलोड किये जाने हैं, उन्हें राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपलोड करवाया जाना एवं अग्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें ताकि कोई पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित ना रहे।

4.6. समय–समय पर केन्द्र सरकार के संबंधित विभागों द्वारा विद्यार्थियों की आधार नामाकंन/आधार generation संबंधी सूचनाएँ मांगे जाने पर समय पर सूचना उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करावेंगे।

आपसे अपेक्षा है कि उक्त योजनानुसार समस्त कार्यवाही समयबद्ध रूप से करवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि छात्रवृत्ति हेतु पात्र समस्त विद्यार्थियों का आधार नामांकन एवं बैंक खातों की आधार सीडिंग पूर्ण करवायी जा सके, जिससे कोई भी पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित नहीं रहे।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

4/x/16

(नरेशपाल गंगवार)
शासन सचिव,
स्कूल शिक्षा एवं भाषा

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, DoIT&C राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि समस्त संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारियों को निर्देशित करावें कि जिला शिक्षाधिकारी के स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही अपने संभाग में करवाई जाना सुनिश्चित करें एवं इस हेतु आवश्यकतानुसार संबंधित जिला शिक्षाधिकारियों से समन्वयन करें।
4. अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् एवं राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त दिशा–निर्देशों को शाला–दर्पण एवं शाला–दर्शन पोर्टल पर अपलोड करवाने तथा समस्त प्रधानाचार्यो/प्रधानाध्यापकों को आज ही ईमेल करवाने हेतु संबंधित को निर्देशित करावें।
5. समस्त उप निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान।
6. समस्त जिला शिक्षाधिकारी माध्यमिक शिक्षा–प्रथम/द्वितीय, प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान।
7. समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षाधिकारी, राजस्थान।
8. समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/संस्था प्रधान, उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/उच्च प्राथमिक/प्रथमिक विद्यालय, राजस्थान को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4/x/16

शासन उप सचिव

परिशिष्ठ–1 (Excel sheet)

क. सं.	विद्यालय का नाम	विद्यालय का यू डाईस कोड	ब्लॉक का नाम	जिले का नाम	संस्था प्रधान का नाम	संस्था प्रधान का मोबाईल नम्बर	विद्यालय की सूचना			छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों की सूचना				
							कुल नामाकंन	आधार नम्बर (UID) प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या	आधार नामाकंन (EID) वाले विद्यार्थियों की संख्या जिन्हें आधार नम्बर प्राप्त नहीं हुआ है	छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियां की संख्या	आधार नम्बर (UID) वाले विद्यार्थियों की संख्या	आधार नामाकंन (EID) वाले विद्यार्थियों की संख्या जिन्हें आधार नम्बर प्राप्त नहीं हुआ है	बैंक खातों वाले विद्यार्थियों की संख्या	आधार सीडेड बैंक खातों वाले विद्यार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर एवं सील

परिशिष्ठ –1 को भरे जाने हेतु दिशा–निर्देश :

1. उक्त परिशिष्ठ एक्सल शीट पर तैयार किया जाना है।
2. तालिका के कॉलम संख्या–2 से 7 में विद्यालय का नाम यू डाईस कोड, विद्यालय जिस ब्लॉक एवं जिले में स्थित है, उसका नाम, संस्था प्रधान का नाम एवं सम्पर्क नम्बर लिखा जाना है।
3. तालिका के कॉलम संख्या 8 से 10 में विद्यालय का कुल नामाकंन, आधार नम्बर प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों की संख्या एवं आधार हेतु नामाकंन करवा चुके विद्यार्थियों की संख्या (जिनके द्वारा नामाकंन तो करवा लिया गया है परन्तु आधार नम्बर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है) लिखी जानी है।
4. तालिका के कॉलम संख्या 11 से 15 में राज्य स्तरीय एवं केन्द्र प्रवर्तित छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों की संख्या, आधार नम्बर प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों की संख्या, आधार नामाकंन (EID) वाले ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जिन्हें आधार नम्बर प्राप्त नहीं हुआ है, जिन विद्यार्थियों के बैंक खाते खुल चुके हैं एवं जिन विद्यार्थियों के बैक खातों की आधार सीडिंग हो चुकी है, उन विद्यार्थियों की संख्या अंकित की जानी है।
5. समस्त संस्था प्रधान/ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षाधिकारी उक्त परिशिष्ठ में साप्ताहिक सूचना प्रत्येक सोमवार को जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय में पहुंचाई जाना सुनिश्चित करेंगे।

परिशिष्ठ –2

संस्था प्रधान द्वारा छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों के संबंध में प्रमाण–पत्र का प्रारूप

प्रमाण–पत्र

मैं श्री/श्रीमती .... , प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/संस्था प्रधान ....(विद्यालय का नाम,पता एवं डाईस कोड). ब्लॉक .... जिला .... यह सत्यापित करता हूँ कि मेरे विद्यालय में छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों की संख्या .... है। उक्त समस्त पात्र विद्यार्थियों का शत–प्रतिशत आधार नामाकंन (EID) करवा दिया गया है/आधार नम्बर (UID) जारी करवा दिया गया है एवं उनके बैंक खाते खुलवाकर खातों की शत–प्रतिशत आधार सीडिंग करवा दी गई है।

संस्था प्रधान नाम ....
संस्था प्रधान के हस्ताक्षर एवं सील ....
दिनांक ....

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों के संबंध में प्रमाण–पत्र का प्रारूप

प्रमाण–पत्र

मैं श्री/श्रीमती .... , ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक .... जिला .... यह सत्यापित करता हूँ कि मेरे ब्लॉक में छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों की संख्या .... है। उक्त समस्त पात्र विद्यार्थियों का शत–प्रतिशत आधार नामाकंन (EID) करवा दिया गया है/आधार नम्बर (UID) जारी करवा दिया गया है एवं उनके बैंक खाते खुलवाकर खातों की शत–प्रतिशत आधार सीडिंग करवा दी गई है।

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी नाम ....
हस्ताक्षर एवं सील ....
दिनांक ....

जिला प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों के संबंध में प्रमाण–पत्र का प्रारूप

प्रमाण–पत्र

मैं श्री/श्रीमती .... , जिला प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा अधिकारी, प्रथम/द्वितीय, जिला .... यह सत्यापित करता हूँ कि मेरे जिले में छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों की संख्या .... है। उक्त समस्त पात्र विद्यार्थियों का शत–प्रतिशत आधार नामाकंन (EID) करवा दिया गया है/आधार नम्बर (UID) जारी करवा दिया गया है एवं उनके बैंक खाते खुलवाकर खातों की शत–प्रतिशत आधार सीडिंग करवा दी गई है।

जिला प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा अधिकारी, प्रथम/द्वितीय नाम ....
हस्ताक्षर एवं सील ....
दिनांक ....